प्रतिवेद्य

भारतीय सर्वोच्च न्यायालय

फौज़दारी अपीलीय अधिकारिता

फौज़दारी अपील संख्या नं. 271/2020

ऐपीएस फॉरेक्स सर्विसेज प्राइवेट लि. .....अपीलार्थी (गण)

बनाम

शक्ति अंतर्राष्ट्रीय फैशन लिंकर्स एवं अन्य ..... प्रत्यर्थी (गण) सहित

फौज़दारी अपील संख्या 272/2020

निर्णय

न्यायाधीश, एम. आर. शाह

फौज़दारी अपील संख्या271/2020

दिनांक 20.04.2018 के उस आक्षेपित निर्णय औरआदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करते हुए जिसे दिल्ली के उच्च न्यायालय ने फ़ौजदारी अनुमति याचिका संख्या 258- 2018 में पारित किया था जिसके द्वाराउच्च न्यायालय ने उक्त अपील की अनुमति याचिका रद्द कर दी जो कि मूल अभियुक्त- जो कि यहाँ प्रत्यर्थी हैं को परक्राम्य लिखत अधिनियम (संक्षिप्त में एन. आई. अधिनियम) की धारा 138 के अंतर्गत अपराध के लिए बरी करने वाले विद्वान विचारण

न्यायालय के निर्णय और बरी के आदेश को चुनौती दे रही थी और जिससे कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और बरी के आदेश की पुष्टि हो गई, मूल शिकायतकर्ता ने वर्तमान अपील दायर की है |

फौज़दारी अपील संख्या272/2020

दिनांक 20.04.2018 के उस आक्षेपित निर्णय औरआदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करते हुए जिसे दिल्ली के उच्च न्यायालय ने फ़ौजदारी अनुमति याचिका संख्या259- 2018 में पारित किया था जिससे कि उच्च न्यायालय ने उक्त अपील की अनुमति याचिका रद्द कर दी जो कि मूल अभियुक्त- जो कि यहाँ प्रत्यर्थी हैं को परक्राम्य लिखत अधिनियम (संक्षिप्त में एन. आई. अधिनियम) की धारा 138 के अंतर्गत अपराध के लिए बरी करने वाले विद्वान विचारण न्यायालय के निर्णय और बरी के आदेश को चुनौती दे रही थी और जिससे कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और बरी के आदेश की पुष्टि हो गई , मूल शिकायतकर्ता ने वर्तमान अपील दायर की है |

फौज़दारी अपील संख्या271/2020

2. शिकायतकर्ता के अनुसार, अपीलार्थी विदेशी मुद्रा की बिक्री और खरीदारी के व्यवसाय में है | यह कि मूल अभियुक्त, जो कि यहाँ प्रत्यर्थी हैं, ने अपीलार्थी से विदेशी मुद्रा/ अमरीकी डालर ट्रेवल करेंसीकार्ड जारी करवाने के लिए संपर्क किया था | मूल शिकायतकर्ता, जो कि यहाँ अपीलार्थी हैं के अनुसार, ₹19,01,320/- की

कुल राशि काभु गतान अभियुक्त को वीटीएम (वीज़ा ट्रैवल मनी कार्ड) के द्वारा किया गया था जो कि अभियुक्त ने अलग अलग दिनों पर 10.01.2014, 20.02.2014 और 22.02.2014 को निकाले थे | शिकायतकर्ता के अनुसार, मूल अभियुक्त, जो कि यहाँ प्रत्यर्थी हैं, ने केवल ₹6,45,807 का भुगतान किया और ₹12,55,513/- राशि शेष है | शिकायतकर्ता के अनुसार, प्रत्यर्थी गण अभियुक्तों ने कुल 9,55,574/- रुपये के चार चेक जारी किए, जो कि शिकायतकर्ता के पक्ष में जारी किए गए थे | हालाँकि, सभी उक्त चेक प्रस्तुत किए जाने पर अस्वीकार हो गए | इसके बाद शिकायतकर्ता के अनुसार प्रत्यर्थी गण नेसंख्या 374941 धारक ₹9,55,574 का एक और चेक जो शक्ति इंटरनेशनल नामक साझेदारी फर्म का है विधिक दायित्व केनिर्वहन हेतुजारी किया | शिकायतकर्ता के अनुसार जब उसी चेक को प्रस्तुत किया गया तब वह दिनांक 02.06.2014 के बैंकज्ञापन द्वारा “भुगतान स्थगित” के कारण अनादृत हो गया | इसके बाद शिकायतकर्ता ने असली अभियुक्त को दिनांक 07.06.2014के सूचनापत्र के द्वारा एन. आई. अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत कानूनी नोटिस भेजा | नोटिस भेजे जाने के बाद भी, अभियुक्त ने चेक की राशि का भुगतान नहीं किया | इसलिए, मूल शिकायतकर्ता-जो कि यहाँ अपीलार्थी है, ने विद्वानमहानगर दंडाधिकारी के समक्ष शिकायत दायर की | विद्वान महानगर दंडाधिकारी ने भी यही माना कि चेक जारी कियागया था परन्तु बिना भुगतान किये “भुगतान स्थगित” की टिपण्णी के साथ वापस लौट

गया था | विद्वान महानगर दंडाधिकारी ने यह माना कि अभियुक्त सुशील कुमार शर्मा ने चेक पर अपने हस्ताक्षर स्वीकृतकिये थे | विद्वान महानगर दंडाधिकारी नेयह भी माना कि अभियुक्तोंकोमाँगहेतु नोटिस की प्राप्ति हुई होगी और उक्त चेक के भुगतान न किये जाने को भी माना | लेकिन,उसके बाद विद्वान महानगर दंडाधिकारी ने गौर किया और माना कि कोई भी विधिक दायित्व नहीं था क्योंकि कार्ड से किया भुगतान स्थापित और प्रमाणित नहीं है; यह कि भुगतान कार्ड जारी होने से पहले के हैं | परिणामस्वरूप, विद्वान महानगर दंडाधिकारी ने दिनांक 20.01.2017 के निर्णय और आदेश से शिकायत रद्द कर दी| विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और बरी के आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करते हुए जिससेअभियुक्त बरी हो गए थे, शिकायतकर्ता ने विद्वानसत्र न्यायालय के समक्ष अपील की | विद्वान सत्र न्यायालय ने उक्त अपील को उसके चल न सकने के आधार पर रद्द कर दिया | उसके बाद शिकायतकर्ता ने उच्च न्यायालय के समक्ष अपील दायर की | आक्षेपित निर्णय और आदेश के साथ उच्च न्यायालय ने अपील रद्द कर दी और विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित बरी के आदेश कि पुष्टि की | इसलिए मूल शिकायतकर्ता ने वर्तमान अपील की है|

3. अपीलार्थी की ओर से पेश विद्वान अधिवक्ता ने प्रबलता से यह प्रस्तुत किया कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में दोनों ही विद्वान विचारण न्यायालय

और उच्च न्यायालय ने मूल अभियुक्त को एन.आई. अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत अपराध में बरी करने में बहुत गंभीर त्रुटी हुई है |

3.1 मूल शिकायतकर्ता- जो कि यहाँ अपीलार्थी हैं की ओर से पेश विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह भी प्रस्तुत किया जाता है कि दोनों निचली न्यायालयों ने उपधारणा का मूल्यांकन और/व उस पर संज्ञान एन.आई. अधिनियम की धारा 139 के अंतर्गत शिकायतकर्ता के पक्ष में नहीं किया | शिकायतकर्ता की ओर से पेश विद्वानअधिवक्ता द्वारा यह भी प्रस्तुत किया जाता है कि दोनों निचली न्यायालयों ने अभियुक्त को बरी करने में तात्विक रूप से भूल की है | यह प्रस्तुत किया जाता है कि अभियुक्त ने चेक जारी करना और चेक पर हस्ताक्षर करना स्वीकार किया था| प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए एन .आई. अधिनियम की धारा 139 के अंतर्गत शिकायतकर्ता के पक्ष में उपधारणा है | प्रस्तुत किया जाता है कि उसके बाद उपधारणा का खंडन करने का दायित्व अभियुक्त का होगा और उसके लिए अभियुक्त को सबूत पेश करने होंगे | प्रस्तुत किया जाता है कि वर्तमान मामले में उपधारणा का खंडन करने वाला कोई भी सबूत अभियुक्त कि ओर से नहीं पेश किया गया है | प्रस्तुत है कि एन . आई. अधिनियम कि धारा 139 से अनिवार्य उपधारणा में कानूनी रूप से प्रवर्तनीय किया जा सकने वाले एक ऋण या दायित्व की उपधारणा शामिल है और इसलिए निचली दोनों न्यायालयों ने अभियुक्त को बरी कर एक तात्विक भूल की है |उपरोक्त के समर्थन में, **रंगप्पा**

बनाम **श्री मोहन**, (2010) 11एससीसी441 और **किसन राओ** बनाम **शकरगौड़ा**, (2018) 8 एससीसी 165 मामलों में इस न्यायालय द्वारा लिए गए निर्णय पर भरोसा रखा गया है |

3.2 शिकायतकर्ता की ओर से पेश विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह भी प्रस्तुत किया जाता है कि अभियुक्त के खिलाफ़आरोप लगाते समय भी और जब उसका बयान रिकॉर्ड किया था, अभियुक्त ने स्वीकार किया था कि उसने विदेशी मुद्रा और यात्रा कार्ड की सेवाएँ ली थी | प्रस्तुत किया जाता है कि उसने यह भी माना था कि उसने उक्त दायित्व के निर्वहन में आंशिक भुगतान किया था और कुछ राशि शेष थी | यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए अभियुक्त के द्वारा प्रमाण देना और यह साबित करना आवश्यक था कि पूरी राशि जो देय है और जिसका भुगतान होना था, चुका दी गई है | प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए एन. आई . अधिनियम की धारा 139 में निहित उपधारणा की दृष्टि से, विद्वान विचारण न्यायालय को अभियुक्त को एन . आई. अधिनियम की धारा 138 के निहित अपराध के लिए दोषी ठहराना चाहिए था | प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए उच्च न्यायालय ने बरी की पुष्टि करके भूल की है|

4. वर्तमान अपील का अभियुक्त की ओर से पेश विद्वान अधिवक्ता ने प्रबलता से विरोध किया है |

4.1 मूल अभियुक्त के ओर से पेश विद्वान अधिवक्ता के द्वारा यह बात प्रबलता से प्रस्तुत की जाती है कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में दोनों निचली न्यायालयों ने अभियुक्त को बरी करने में कोई त्रुटि नहीं की है |

4.2 ये भी प्रस्तुत किया जाता है कि यह बात सत्य है कि चेक जारी किया गया था, पर उसे प्रतिभूति के रूप में जारी किया था | प्रस्तुत किया जाता है कि शिकायतकर्ता ने भारत के रेंजर एक्सपोर्ट से व्यापार का बकाया वसूल करने के लिए चेक का दुरूपयोग किया | प्रस्तुत किया जाता है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा एक विशिष्ट निष्कर्ष दिया गया है कि शिकायतकर्ता अभियुक्त के वह विधिक दायित्व और / या बकाया साबित करने में विफल रहा है जिसके लिए चेक जारी किया गया था |

4.3 अभियुक्त की ओर से पेश विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किया जाता है कि वर्तमान मामले में अभियुक्त ने एन . आई. अधिनियम की धारा 139 के निहित उपधारणा का खंडन किया है और दर्शाया और साबित किया है कि कोई भी विधिक दायित्व और / या बकाया शिकायतकर्ता को बकाया या देय नहीं था|

4.4 **बसालिंगप्पा** बनाम **मुदीबासप्पा**(2019) 5 एससीसी 418के मामले में इस न्यायालय के निर्णय पर विश्वास करते हुए यह निवेदन जाता है कि इस न्यायालय के अनुसारअभियुक्त की ओर से एक बार संभावित बचाव होने पर अपनी वित्तीय

क्षमता और अन्य तथ्यों को सिद्ध करने का दायित्व शिकायतकर्ता पर आ जाता है।

4.5 उपरोक्त निवेदन करते हुए और मामलों पर विश्वास करते हुएवर्तमान अपील को खारिज करने कीप्रार्थना की जाती है।

5. हमने संबंधित पक्षों की ओर से पेश होने वाले विद्वानवकीलों की बात विस्तार से सुनी है ।

5.1 हमने दस्तावेज़ीऔर मौखिक दोनों प्रकार के अभिलिखित साक्ष्यों पर बारीकी से विचार किया है। हमने निचली अदालतों द्वाराप्रत्यर्थी गण अभियुक्तों को एन. आई. अधिनियम की धारा 138 के अतंर्गत बरी करते हुएपारित निर्णयों और आदेश को भी पढ़ाएवं उस पर विचार किया है |

5.2 अभिलिखित सामग्री से जो बात सामने आयी है वह यह है कि अभियुक्त द्वारा चेक जारी करने और उक्त चेक परअभियुक्तके हस्ताक्षर होने की बातपर अभियुक्त नेमतभेद नहीं किया है। पक्षों के बीच लेनदेन होने की बात पर भीअभियुक्त ने मतभेद नहीं किया है। यहाँ तक कि अभियुक्त के बयान, जो आरोप निर्धारित करते हुएदर्ज किए गए थे , के अनुसार उसनेयहस्वीकार किया है कि कुछ राशि बकायाऔर देय थी।हालाँकि, अभियुक्त की ओर से यह कहा गया था कि चेक प्रतिभूतिके तौर पर दिया गया था और शिकायतकर्ता द्वारा इसका दुरुपयोग किया गया है। हालाँकि ,ऐसा कुछ भी अभिलेख में नहीं है कि कानूनी

नोटिस के उत्तर में अभियुक्त द्वारा चेक कोप्रतिभूति के तौर पर दिया गया था। फिर भी अगर ऐसा होता है तो भी यह ध्यान देने की जरूरत है कि पहले अभियुक्त द्वारा जारी किए गए चेक "अपर्याप्त निधि"के आधार परअस्वीकृत हुए और बाद में कुल 9,55,574 रुपए का चेक दिया गया जो "भुगतान रोका जाए" के आधार पर बिना भुगतान लौटाया गया। इसलिए उक्त चेक दूसरी बार जारी किया गया था|इसलिए,अभियुक्तद्वारा उसके हस्ताक्षर वाले चेक जारी किये जाना स्वीकार करने पर परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 139 के अंतर्गत कानूनी रूप से प्रवर्तनीय ऋण या देयता की उपधारणा है। हालाँकि ऐसी उपधारणा का स्वरुप खंडनीय है और अभियुक्त को ऐसीउपधारणा का खंडन करने के लिए प्रमाण देने की जरूरत है। अभियुक्त को यह सिद्ध करने की जरूरत थी कि शिकायतकर्ता को बाकी और देय पूरी रकम दे दी गई थी।

6. परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 139 के अंतर्गत उपधारणा के इस न्यायालय के कुछ निर्णयों को निर्दिष्टकरने और उन पर संज्ञान करने की आवश्यकता है।

6.1 **के.एन.बीना** बनाम **मुनियप्पन** (2001) 8 एससीसी 458 के मामले में, इस न्यायालय द्वारा यह अवलोकन किया गया कि एन.आई. अधिनियम की धारा 118 के अंतर्गत जब तक इसके विपरीत सिद्ध न हो जाए, यह मान लिया जाए कि परक्राम्य लिखत (चेक सहित) प्रतिफल के रूप में दिया या लिया गया था। धारा

139 के तहत यह भीअवलोकन किया गया कि जब तक इसके विपरीत सिद्ध न हो जाए, न्यायालय यह मानेगा कि चेकधारी द्वारा ऋण या देयता की पूरी या आंशिक राशि भुगतान के लिए चेक प्राप्त किया है। धारा 138 के तहत शिकायतों में न्यायालय को यह भी मानना होगा कि चेक ऋण या देयता के लिए जारी किया गया था | यह उपधारणा खंडनीय है। हालाँकिचेक ऋण अथवा देयता के लिए जारी नहीं किया गया था को सिद्ध करने का दायित्व अभियुक्त का है |

6.2 **रंगप्पा** (उपर्युक्त) के मामले मे फिर से इस न्यायालय को एन.आई. अधिनियम की धारा 139 के अंतर्गत कानूनी रूप से प्रवर्तनीय ऋण या देयता की मौजूदगी की उपधारणा पर विचार करने का अवसर प्राप्त हुआ। उपर्युक्त निर्णय में एन.आई. अधिनियम की धारा 118 (अ) और 139 पर इस न्यायालय के अन्य निर्णयों पर विचार करने के पश्चात यह अवलोकन किया जाता है कि ऐसी उपधारणा मौजूद है जो कि शिकायतकर्ता के पक्ष में है। यह भी माना जाता है किएन.आई.अधिनियम की धारा 139 के अंतर्गतउपधारणा का स्वरुप एकखंडनीय उपधारणा का है औरजहाँ कानूनी रूप से प्रवर्तनीय ऋण देयता विवादास्पद हो, वहाँ अभियुक्त द्वारा प्रतिवाद किया जा सकता है |अनुच्छेद 27 में इस न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणीकी है और अभिनिर्धारित किया हैः

> "**27**. अधिनियम की धारा 139 रिवर्स ओनस खंड का उदाहरण है जो परक्राम्य लिखित की विश्वसनीयता में सुधार करने के विधायी उद्देश्य को बढ़ाने के लिए शामिल किया गया है। जहाँ अधिनियम की धारा 138 चेक अस्वीकार होने

के सम्बन्ध में कड़ा आपराधिक उपाय विनिर्दिष्ट करती है, धारा 139 के अंतर्गत खंडनीय उपधारणा मुकदमें में अनुचित विलंब को रोकने के लिए एक साधन है। हालाँकि, यह याद रखा जाना चाहिए कि धारा 138 के अंतर्गत दंडनीय बनाया गया अपराध को एक तरह से विनियामक अपराध कह सकते है क्योंकि चेक बाउंस होना मोटे तौर पर प्रकृति से एक सिविल अपराध है जिसका प्रभाव उन निजी पक्षों तक सीमित होता है जो वाणिज्यिक लेनदेन में शामिल होते हैं। ऐसे परिदृश्य में अनुपात की जाँच विपरीत दायित्व खंडों के निर्माण और निर्वचन को मार्गदर्शित करता है और प्रत्यर्थी-अभियुक्त से नाजायज़ रूप से उच्च मानकों का निर्वहन या सिद्ध करने की अपेक्षा नहीं की जा सकती है।"

6.3 **किशन राव**(उपर्युक्त) के मामले में **कुमार एक्सपोर्ट** बनाम **शर्मा कॉरपोरेट्स**, (2009) 2 एससीसी 513 के मामले में इस न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय पर विचार करते हुए यह अवलोकनकिया गया किअभियुक्त उपधारणा का खंडन करने के लिए साक्ष्य प्रस्तुत कर सकता है, लेकिन केवल ऋण की मौजूदगी से इनकार करने से बात नहीं बनेगी। इस न्यायालय ने अनुच्छेद 19 में निर्णय देते समय **कुमार एक्सपोर्ट्स** (उपरोक्त) मामले में निर्णय केअनुच्छेद 14, 15, 18 और 19 पर निम्नलिखित रूप से विचार किया:-

> **19**. इस न्यायालय ने *कुमार एक्सपोर्ट्स* बनाम *शर्मा कॉरपोरेट्स* (उपर्युक्त) में परक्राम्य लिखत अधिनियम के साथ ही साथ साक्ष्य अधिनियम के उपबंधों पर विचार किया था। धारा 139 को निर्दिष्ट करते हुए इस न्यायलय ने पैरा 14, 15, 18 और 19 में निम्नलिखित निर्धारित किया:-
>
> > "14. अधिनियम कीधारा 139 में दिया गया है कि जब तक कि अन्यथा साबित न किया जाये, यह उपधारणा की जायेगी कि चेक के धारक ने वह चेक धारा 138 में

निर्दिष्ट स्वरुप में किसी ऋण अथवा अन्य दायित्व के भागतः या पूर्णतः उन्मोचन के लिए प्राप्त किया है ।

15.उपधाराणाएंऐसा साधन है जिनके प्रयोग करके किसी मामले में कोई साक्ष्य न होने या अपर्याप्त साक्ष्य होने केबावजूद न्यायालय कोनिर्णय देने के लिएसमर्थ और हक़दार बनाया जा ताहै। साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत सभी उपधारणाओं को अधिनियम में दी गई तीन श्रेणियोंमें से किसी एक के अंतर्गत आना चाहिए, अर्थात (1) “उपधारणा हो सकती है” (खंडनीय), (2) “उपधारणा होगी” (खंडनीय) और (3) “निष्कर्षरूप में उपधारणा”(अखंडनीय)| “उपधारणा” शब्द का प्रयोग न्यायाधिकरण द्वारा निकाले गए निष्कर्ष स्थापित करने के लिए होता है,जो कि सुविधानुसार “उपधारित तथ्य” कहलाये जाने वाले किसी तथ्य के अस्तित्व की पुष्टि अपुष्टि करने के लिए इस्तेमाल होता है, ऐसा संभावित तर्क की एक प्रक्रिया द्वारा होता है जो कि किसी तथ्य की बात पर होती है जिस पर न्यायिक रूप से संज्ञान लिया गया हो, या जिसे अधिकरण की संतुष्टि के साथ कानूनी साक्ष्य द्वारा माना और स्थापित किया गयाहो | उपधारणा का तात्विकअर्थ बिना “किसी जांच या सबूत के सच समझना है”।

*****

18. साक्ष्य अधिनियमकी धारा 3 में “साबित” शब्द की परिभाषाको अधिनियम की धारा 118 और 139 के उपबंधों पर लागू करते हुए, यह स्पष्ट हो जाता है किअधिनियम की धारा 138 के अधीन मुकद्दमे में यह उपधारणा बनानी होगी कि प्रत्येक परक्राम्य लिखितप्रतिफलार्थ रचित या लिखी गई थी और वह ऋण या देयता के निर्वहन के लिए निष्पादित किया गया था जैसे ही परक्राम्य लिखित का निष्पादित किया जाना साबित या स्वीकार किया गया |जैसे ही शिकायतकर्ता यह सिद्ध करने के दायित्व का निर्वहन करता है कि लिखत, जैसे कि कोई नोट अभियुक्त द्वारा निष्पादित किया गया

था, तो अधिनियम की धारा 118 और 139 में निहित उपधारणा के नियम उसे दायित्व अभियुक्त पर डालने में मदद करते हैं। उपधारणा फिर भी रहेगी, विद्यमान होगी, और जीवित रहेगी और तब ही समाप्त होगी जब अभियुक्त द्वारा इसके प्रतिकूल सिद्ध नहीं किया जाता है, अर्थात चेक प्रतिफलन के लिएऔर किसी ऋण अथवा देयता के निर्वहन के लिए जारी नहीं किया गया था। उपधारणा अपने आप में साक्ष्य नहीं है, लेकिन यह प्रथम दृष्टया उस पक्ष के लिए मामला बनाती है जिसको इससे लाभ होना है ।

19. अधिनियम की धारा 118 में 'जब तक कि अन्यथा साबित न किया जाए ' वाक्य का प्रयोगऔर अधिनियम की धारा 139 में 'जब तक कि प्रतिकूलतः साबित न किया जाए' वाक्य का प्रयोग साक्ष्य अधिनियम की धारा 4 में दिए गए 'उपधारणा कर सकेगा ' और 'उपधारणा करेगा'की परिभाषाओंके साथ पढ़ने पर एक बार फिर स्पष्ट करता है कि दोनों उपबंधों में उठाई जाने वाली उपधारणाएं खंडनीय हैं। जब कोई उपधारणा खंडनीय होती है तो वह केवल यह इंगित करती है कि जिस पक्ष पर दिए गए तथ्यगत उपधारणा पर साक्ष्य देने का भार है और जब वह पक्ष उचित और युक्तियुक्त तरीके से साक्ष्य प्रस्तुत करता है, यहदर्शाते हुए कि वास्तविकतथ्य वह नहीं है जिसकी उपधारणा की गई है तोउपधारणा का प्रयोजन हल हो जाता है।"

6.4 अभी तक क्योंकि अभियुक्त की ओर से पेश विद्वान वकील द्वारा **बासालिंगप्पा** (उपर्युक्त) के मामले में इस न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय पर भरोसा रखा गया है, उक्त निर्णय को पढ़ने के पर, हमारी राय है कि उक्त निर्णय मौजूदा मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होगा और/या यह अभियुक्त के किसी काम का नहीं है | न्यायालय के समक्ष उस मामले में अभियुक्त द्वारा दलील दी गई थी कि चेक की राशि शिकायतकर्ता द्वारा अभियुक्त को ऋण के रूप में दी गई

थी | जब एन. आई. अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत कार्रवाई शुरू की गई, तब अभियुक्त ने ऋण देयता से इनकार किया और अभियुक्त ने प्रतिवाद किया और शिकायतकर्ता की वित्तीय क्षमता पर प्रश्न उठाया। जिस पर शिकायतकर्ता अपनी वित्तीय क्षमता साबित करने और उसे स्थापित करने में विफल रहा। इसलिए, यह न्यायालय संतुष्ट थी कि अभियुक्त का संभावित बचाव था और फलस्वरूप शिकायतकर्ता द्वारा अपनी वित्तीय क्षमता साबित न कर पाने की वजह से इस अदालत ने अभियुक्त को बरी कर दिया | वर्तमान मामले में, अभियुक्त ने शिकायतकर्ता की वित्तीय क्षमता पर कभी सवाल नहीं उठाया। हमारा विचार है कि जब भी अभियुक्त ने अपनी संभावित बचाव के समर्थन में शिकायतकर्ता की वित्तीय क्षमता पर सवाल उठाया है, बावजूद एन.आई . अधिनियमकी धारा 139 में निहित उपधारणा केजो कि कानूनी रूप से प्रवर्तनीय ऋण की उपधारणाके बारे में हैं और यह उपधारणाखंडनीय है, जिसके बाद फिर से शिकायतकर्ता पर अपनी वित्तीय क्षमता साबित करने के लिए जिम्मेदारी आ जाती है और उस स्थिति में शिकायतकर्ता को अपनी वित्तीय क्षमता साबित करने के लिए सबूत पेश करने की आवश्यकता होती है, विशेष रूप से तब जब यहनकदी द्वारा ऋण देने का मामला हो औरइसके बाद एक चेक जारी किया गया हो। यहाँवह मामला नहीं है।

7. वर्तमान मामले में तथ्यों परवापिस आते हुए और इस बात पर विचार करकेकि अभियुक्त ने चेक जारी करने और चेक पर अपने हस्ताक्षर करने की बात स्वीकार

की है और यह कि पहली बार चेक अस्वीकृत होने के बाद उक्तचेक दूसरी बार जारी हुआ था,और यहकि अभियुक्ततक के अनुसार कुछ राशि बकाय और देय थी, एन. आई.अधिनियम की धारा 139 में निहित यह एकउपधारणा है कि कानूनी रूप से प्रवर्तनीय ऋण या देयता मौजूद है |बेशक इस तरह की उपधारणा की प्रकृति खंडनीय है। हालांकि, इसउपधारणा का खंडन करने के लिए अभियुक्त को साक्ष्य पेश करने की आवश्यकता थी कि शिकायतकर्ता को बकाया और देय पूरी राशि का भुगतान कर दिया गयाथा। वर्तमान मामले में , इस तरह का कोई भी सबूत अभियुक्त द्वारा पेश नहीं किया गया है। अभियुक्त द्वारा पेश की गईकहानी कि चेक प्रतिभूति के रूप में दिए गए थे अन्य किसी साक्ष्य ना होने की स्थिति में उपधारणा का खंडन करने के लिए विश्वसनीय नहीं हैऔर ख़ासकरजब प्रश्नगत चेक पिछले चेक के अस्वीकार होने के बाद दूसरी बार जारी किया गया था | इसलिए, निचली दोनों अदालतों नेएन.आई. अधिनियम की धारा 139 के अनुसार कानूनी रूप से प्रवर्तनीय ऋण या देयता कीउपधारणा को उचित रूप से न समझने और उस पर शिकायतकर्ता के पक्ष में संज्ञान न करने में तात्विकत्रुटि की है | ऐसा प्रतीत होता है कि दोनों ,विद्वानविचारण न्यायालय के साथ ही उच्च न्यायालय ने भी एन.आई. अधिनियमकी धारा 139 के निहितउपधारणा को समझे बिना ऋण की देनदारी या दायित्व साबित करने का दायित्व शिकायतकर्ता पर डाल कर भूल की है | जैसा कि ऊपर टिप्पणी की गई है , अधिनियम की धारा 139 रिवर्सओनस

खंड का एक उदाहरण है इसलिए जब एक बार चेक जारी करना स्वीकारा जा चुका हो और यहाँ तक कि चेक पर हस्ताक्षर करने की बात स्वीकारी जा चुकी हो, तो शिकायतकर्ता के पक्ष में उपधारणा मौजूद रहती है कि कानूनी रूप से प्रवर्तनीय ऋण या देयता हैऔर उसके बाद यह अभियुक्त का दायित्व है कि वह ऐसी उपधारणा को साक्ष्य देकर खंडन करे।

8. उपर्युक्त कारणों की दृष्टि से, आक्षेपितनिर्णय तथा उच्च न्यायालय एवंमहानगर दंडाधिकारी द्वारा मूल अभियुक्त- जो कि यहाँ प्रत्यर्थी (गण) हैं, को एन .आई. अधिनियम की धारा 13 8 के तहत अपराध में बरी के लिए पारित आदेश सिद्ध नहीं हो सकता है और वह खारिज किए जाने और रद्द करने के योग्य है और इसलिए तदनुसार खारिज और रद्द किया जा तेहैं।मूल आरोपी - जो की यहां प्रत्यर्थी (गण) हैं, को एन.आई अधिनियम की धारा 138 के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराया जाता है। सभी मूल अभियुक्त- जो कि यहाँ प्रत्यर्थी (गण) हैं को तथापि एन.आई. अधिनियम की धारा 138 के तहत दोषी ठहराया जाता है। मूल अभियुक्त संख्या 2 से 4 तक यहां प्रत्यर्थी संख्या2 से प्रत्यर्थीसंख्या4 तक को तीन माह की साधारण कारावास की सजा के साथ प्रत्येक को 10,000 /- जुर्माने का दंड दिया जाता है, और ऐसा न करने पर आगे और एक माह के साधारण कारावास की सजा दी जाती है। मूल अभियुक्त - जो यहाँ प्रत्यर्थी (गण) हैं को यह भी

निदेश दिया जाता है कि वे क्षतिपूर्ति के रूप मे मूल शिकायतकर्ता को आज से आठ सप्ताह के भीतर 19,11,148/- रूपए की राशि का भुगतान करें।

9. वर्तमान अपील तदनुसार मंज़ूर की जाती है।

<u>2020 की फौज़दारी अपील संख्या 272</u>

10. अब जहाँ तक यह अपील जो फ़ौजदारी अनुमति याचिका संख्या259/2018 में उच्च न्यायालय द्वारा पारित उस आक्षेपित निर्णय औरआदेश से उत्पन्न हुई है जो कि फौज़दारी शिकायत संख्या 62/15 (नयी संख्या 613738/16) में विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और आदेश से उत्पन्न हुआ था, जिसमें कि मूल अभियुक्त को एन.आई. अधिनियम की धारा 138 के तहत अपराध से बरी कर दिया गया था का सवाल है, इकलौता अंतर केवल चेक की रकम में है।वर्तमान मामले में, चार चेक प्रत्येक 1,00,000/- रुपए के थे, जारी किए गए थे, जो अस्वीकार हो गए। चेक की राशि को छोड़कर, कोई अंतर नहीं है।

11. 2020 की फौज़दारी अपील संख्या271 में बताए गए कारणों के कारण जिसे आज अनुमति दी गई है, इस अपील की भी अनुमति दी जाती है। उच्च न्यायालय के साथ-साथ विचारण न्यायालय के द्वारा वो आक्षेपित निर्णय और पारित आदेश जिससे कि मूल अभियुक्त- जो कि यहाँ प्रत्यर्थी हैं को एन.आई . अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत अपराधों से बरी कर दिया गया, सिद्ध नहीं हो सकते है

और वह खारिज किए जाने और रद्द करने योग्य है और इसलिए तदनुसार खारिज और रद्द किया जाता है। मूल आरोपी- जो यहाँ प्रत्यर्थी (गण) हैं को एन.आई अधिनियम की धारा 138 के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराया जाता है। सभी मूल अभियुक्त- जो यहाँ प्रत्यर्थी(गण)हैं को एन.आई. अधिनियम की धारा 138 के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराया जाता है। मूल अभियुक्त संख्या 2 से 4 तक, यहां प्रत्यर्थी संख्या 2 से प्रत्यर्थी संख्या4 तक को तीन माह की साधारण कारावास की सजा के साथ प्रत्येक को 10,000/- जुर्माने का दंड दिया जाता है, और ऐसा न करने पर आगे और एक माह के साधारण कारावास की सजा दी जाती है। मूल अभियुक्त - जो यहाँप्रत्यर्थी हैं को यह भी निदेश दिया जाता है कि वे आज से आठ सप्ताह के अंतर्गत मूल शिकायतकर्ता को मुआवजे के रूप में 8,00,000 /- रुपए की रकम अदा करें।

---------- न्याय.
(अशोक भूषण)

---------- न्याय.
(एम.आर. शाह)

नई दिल्ली;
14 फरवरी, 2020.

अस्वीकरण: देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्द्मेबाज़ के सीमित प्रयोगहेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसीअन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिकप्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा औरकार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।